FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

हीरदान बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लापुन्द्रा

किस्म मुकदमा रा० अपील नं. 06/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/08/2021	प्रार्थी/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री रिछपालसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 75 RCRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/09/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/09/2021	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। रेस्पोडेन्टगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा रेस्पोडेन्टगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री एडवोकेट बहस [illegible] अपीलान्ट के अधिवक्ता [illegible] न्यायिक (सिविल प्रोसीजर [illegible] अपील संख्या - 73/2018 हीरदान व/s ग्राम पं०	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:42 IST
Reason: SelfAttested

लापुन्डा तथा पटवारी हल्का, ILR व तहसीलदार गिड़ा की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया/अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड नामा० संख्या-25 दिनांक-15.6.1998 का अवलोकन करने के बाद अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

सेवार्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु

जिला बाडमेर

अपीलांट	बनाम	उतरदाता
1 हीरदान पुत्र बुद्वदान जाति चारण निवासी डोलीनाडी तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		सरपंच ग्रा. प. लापुन्दड़ा वगैरा।

अपील सख्या 06/2021 **दिनांक :-20.09.2021**

-: आदेश :-

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या-25 दिनांक 15.06.1998 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा डोलीनाडी हल्का लापुन्दड़ा तहसील- गिड़ा के ख.नं. कमश 207/127, 89 रकबा कमश 1.4892, 2.5010 हेक्टेयर आई हुई हैं । अपीलांट के पूर्वज देवीदान के पेतृक खातेदारी की थी देवीदान की फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट का नाम पपुदान दर्ज कर दिया गया है। अतः उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर उक्त अराजी में पपुदान के स्थान पर हीरदान दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को जरीये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया जिनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में केम्प कोर्ट 2018 के आदेश व तहसीलदार ,भु अभिलेखक व हल्का पटवारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई।

नामान्तरकरण संख्या-25 दिनांक 15.06.1998 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट के दादा देवीदान के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरण में अपीलांट का नाम पपूदान दर्ज कर दिया गया है।

अपीलांट द्वारा पेश पूर्व निर्णीत आदेश 73/2018 के प्रमाणित प्रति में तहसीलदार गिड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का लापुन्दड़ा ने भी रिपोर्ट में संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने की अनुशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व अपील द्वारा पूर्व निर्णीत आदेश 73/2018 के प्रमाणित प्रति में तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–25 दिनांक 15.06.1998 को खारिज किया जाकर, मौजा डोलीनाडी पटवार हल्का लापुन्दड़ा तहसील– गिड़ा के ख.नं. क्रमश 207/127, 89 रकबा क्रमश 1.4892, 2.5010 हेक्टेयर में पपुदान पुत्र बुद्वदान के स्थान पर हीरदान पुत्र बुद्वदान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:42 IST
Reason: SelfAttested